

बिहार कर्मचारी चयन आयोग

पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना-14

आवश्यक सूचना

विज्ञापन संख्या-01/19,

पद-सहायक उर्दू अनुवादक

ज्ञापांक:- 2729/4110

पटना, दिनांक:- 31-X-19.

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (उर्दू निदेशालय) के अन्तर्गत सहायक उर्दू अनुवादक के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाईन आवेदन आयोग के वेबसाइट <http://bssc.bih.nic.in> पर आमंत्रित किये जाते हैं।

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि-05.11.2019 से 30.11.2019 तक।

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की तिथि-05.11.2019 से 04.12.2019 तक।

कुल रिक्तियाँ:- 1294 (एक हजार दो सौ चौरानवे)

क्र0सं0	कोटि	कुल पद	कुल पदों में से महिलाओं के लिए (35%) आरक्षण के अन्तर्गत अनुमान्य रिक्तियाँ
01	अनारक्षित	518	181
02	अनुसूचित जाति	207	77
03	अनुसूचित जनजाति	13	04
04	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	233	90
05	पिछड़ा वर्ग	155	52
06	पिछड़े वर्ग की महिला	39	00
07	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	129	39
कुल		1294	443

नोट:-

1. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-13062, दिनांक-12.10.2017 के आलोक में क्षेत्रीय आरक्षण के तहत 13 (तेरह) पद दृष्टिबाधित दिव्यांग उम्मीदवारों को, 13 (तेरह) पद मूक-बधिर दिव्यांग उम्मीदवारों को, 13 (तेरह) पद अस्थि विकलांग उम्मीदवारों को एवं 13 (तेरह) पद मनोविकार दिव्यांग उम्मीदवारों को अनुमान्य होगा। चयनित दिव्यांग उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती संगत आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जाएगी।
2. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-2526, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 26 (छब्बीस) पद क्षेत्रीय आरक्षण के तहत अनुमान्य होगा। चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती संगत आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जाएगी।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उर्दू विषय में कम से कम 100 अंकों के साथ इन्टरमीडिएट(+2)/समकक्ष।

वेतनमान:- लेवल 05

उम्र सीमा:- दिनांक-01.08.2019 के आधार पर निर्धारित की जाएगी। परन्तु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक-01.08.2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर इस परीक्षा के पात्र होंगे।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) की संकल्प संख्या-294, दिनांक-07.01.2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्नवत होगी।

1. न्यूनतम आयु सीमा- 18 (अठारह) वर्ष।
2. अधिकतम आयु सीमा -
 - (i) अनारक्षित वर्ग (पुरुष) - 37 वर्ष।
 - (ii) अनारक्षित वर्ग (महिला) - 40 वर्ष।
 - (iii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला)- 40 वर्ष।
 - (iv) अनु0जाति/अनु0जनजाति (पुरुष/महिला) - 42 वर्ष।
3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को जो 03 (तीन) वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है। साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-62, दिनांक-05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य है।
4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2447, दिनांक-06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 (तिरेपन) वर्ष से अधिक नहीं हो।
 - इस विज्ञापन से संबंधित विस्तृत विवरणी जिसमें योग्यता/आरक्षण/छूट/रियायतें/वेतन एवं भत्ते/चयन प्रक्रिया/आवेदन भरने की प्रक्रिया इत्यादि से संबंधित शर्तें तथा सामान्य अनुदेश बिहार कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट <http://bssc.bih.nic.in> पर उपलब्ध है।
 - अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व आयोग के वेबसाइट पर दी गई विज्ञापन की सभी शर्तों का अवलोकन अवश्य कर लेंगे।
 - अभ्यर्थी एक विज्ञापन के लिए सिर्फ एक ही ऑनलाईन आवेदन भरेंगे। यदि वे एक से अधिक आवेदन भरेंगे, तो उनके सभी आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
 - जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पता के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे, उनको अपात्र मानते हुए, उनके विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।


सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।